

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	मांगू पुत्र नन्दा जाति नाथक साठ ईद खातेदार	258	0.83	मांगीलाल पुत्र नन्दाराम जाति नाथक साठ ईद खातेदार	258	0.83

खाता
नम्बर
261

क्रमांक :- PGKSA/21/16
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिक्षण प्रशासक भारती
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.डी.काँना)
(आ.जिला कलेक्टर, डी.डी.काँना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक :- 06/10/21

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णय अनुसार पालना सुनिश्चित करें।

शिक्षण प्रशासक भारती
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.डी.काँना)
(आ.जिला कलेक्टर, डी.डी.काँना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर